

क्र. 254/2023

विज्ञापन

रीवा, दिनांक 09/11/23

महाविद्यालय में सत्र 2023-24 के लिये जनभागीदारी समिति द्वारा विभिन्न विषयों की अध्यापन व्यवस्था हेतु स्ववित्तीय/जनभागीदारी मद से स्ववित्तीय/जनभागीदारी शिक्षकों के आमंत्रण हेतु सादे कागज पर निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	विषय	जनभागीदारी शिक्षक	स्ववित्तीय शिक्षक
1	रसायनशास्त्र	01	01
2	जैव रसायन	-	03
3	बायोटेक्नोलॉजी	-	-
	(अ) वनस्पति शास्त्र	-	01
	(ब) रसायन शास्त्र	-	01
	(स) बायोटेक	-	04
4	प्राणिशास्त्र	03	01
5	वनस्पति शास्त्र	01	03
6	गणित	-	04
7	योग	01	01

टीपः—यह मांग संस्था आपस(जनभागीदारी/स्ववित्तीय)में परिवर्तनीय होगी एवं आमंत्रण के समय की आवश्यकतानुसार ये मांग कम या ज्यादा की जा सकेगी ।

अर्हता :-01. संबंधित पदों पर कार्य करने के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय)संबंधी विनियम,2018 के अनुरूप वांछित है । वांछित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इस व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे ।

- 02 सभी आवेदन प्राचार्य एवं सचिव जनभागीदारी समिति, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय ,रीवा (म.प्र.)के नाम संबोधित किये जायें ।
- 03 इच्छुक अभ्यर्थी समस्त सुसंगत प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित ए-4 साइज के कागज पर आवेदन-पत्र महाविद्यालय में दिनांक 20.09.2023 को सायं 4 बजे तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा कर सकेंगे ।
- 04 यदि अभ्यर्थी दो पाठ्यक्रम/मद में आवेदन करना चाहते हैं तो इस हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा ।
- 05 मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्र.F 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 एवं पत्र क्र. 148/348/आईटी/आउसि/2022 भोपाल दिनांक 25.02.2022 के अनुसार संबंधित पदों पर कार्य करने के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय)संबंधी विनियम,2018 के अनुरूप वांछित है । वांछित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इस व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे ।
- 06 अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में फोटो सहित पूर्ण विवरण दे और सम्पर्क हेतु अपना चालू मोबाइल नम्बर अवश्य दें ।
- 07 आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र में सलंगन न होने की स्थिति में सम्बंधित अधिभार नहीं जोड़ा जायेगा ।
- 08 आमंत्रित किये गये जनभागीदारी /स्ववित्तीय शिक्षकों के पठन पाठन एवं आचरण का मूल्यांकन गोपनीय रूप से सम्बंधित विद्यार्थियों द्वारा एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा कराया जायेगा,जिसके अनुकूल न पाये जाने की दशा में उनका आमंत्रण समाप्त किया जा सकेगा ।
- 09 उपरोक्त सभी किसी भी हेसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और न ही लोक सेवा की विधि निहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक माने जायेंगे ।
- 10 जनभागीदारी /स्ववित्तीय शिक्षक को महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा और प्राचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपे गये महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं शैक्षणोत्तर गतिविधियों में कार्य को निर्धारित किये गये समयावधि में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा ।
- 11 जनभागीदारी /स्ववित्तीय शिक्षकों का आमंत्रण मानदेय व्यवस्था के अंतर्गत पृथक-पृथक रहेंगा परंतु अध्यापन व्यवस्था में ऐसा कोई भी विभेद नहीं होगा । अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणोत्तर कार्य आवंटित होने के बाद कार्य न करने की मनाही पर उक्त व्यवस्था से पृथक किया जा सकेगा, जिसके लिये प्राचार्य को पूर्ण अधिकार होगा ।
- 12 महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को संपूर्ण चयन प्रक्रिया अथवा उसके भाग को निरस्त करने या सुशोधन करने का विधिक अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

प्राचार्य एवं सचिव (जनभागीदारी समिति)
शास.ठाकुर रणमत सिंह सचिव/प्राचार्य(म.प्र.)

जन भागीदारी समिति
बी० डी० वार० एन० महावि० रीवा